न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
25 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	08.03.2023	10.07.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री सोहन लाल गोयल पुत्र श्री सूरज मल गोयल निवासी रघुनाथपुरी बड़ा तख्ता टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जय अम्बे किराणा स्टोर जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक पिनकोड–304001 मोबाईल नं0 9875752383

2–मैसर्स जय अम्बे किराणा स्टोर जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक पिनकोड–304001

3–श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र श्री सम्भीर मल जैन निवासी रघुनाथपुरी बड़ा तख्ता टोंक जिला टोंक राज0 प्रोपरायटर मैसर्स निर्मल एन्टरप्राईजेज पोस्ट ऑफिस के पीछे केसर कुन्ज टोंक जिला टोंक(राज0)

4– मैसर्स निर्मल एन्टरप्राईजेज पोस्ट ऑफिस के पीछे केसर कुन्ज टोंक जिला टोंक(राज0)

5–श्रीमति ललितेश मंगल पत्नि श्री मनोज मंगल निवासी सैयद वाली गली अग्रसेन कॉलोनी बाडी धौलपुर राज0 प्रोपरायटर मैसर्स मंगल एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं0 सी–553 फर्स्ट फ्लोर बीसी रोड नं0 6 वीकेआई एरिया जयपुर राज0। पिनकोड 302013

6– मैसर्स मंगल एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं0 सी–553 फर्स्ट फ्लोर बीसी रोड नं0 6 वीकेआई एरिया जयपुर राज0। पिनकोड 302013

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2– अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1व 2श्री कैलाश अहलूवालिय एवं 3ता 6 श्री पवित्र मिश्रा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 10/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.12.2022 को समय दोपहर 03:30 पी.एम. पर मैसर्स जय अम्बे किराणा स्टोर जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री सोहन लाल गोयल पुत्र श्री सूरज मल गोयल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जय अम्बे किराणा स्टोर जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक पर खादय पदार्थ गुड़, तेल, घी, मसाले नमकीन का कारोबार करते हुए मिला। श्री सोहन लाल गोयल पुत्र श्री सूरज मल गोयल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सोहन लाल गोयल पुत्र श्री सूरज मल गोयल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, हल्दी पावडर मसाले के साथ–साथ दुकान की रैंक में लगभग 20 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 किलोग्राम **हल्दी पावडर (मुन्शी पन्ना ब्राण्ड)** आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री सोहन लाल गोयल पुत्र श्री सूरज मल गोयल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सोहन लाल गोयल पुत्र श्री सूरज मल गोयल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान की रैंक में लगभग 20 पैंकेट पैक्ड अवस्था में 1–1 किलोग्राम पैक में से **हल्दी पावडर (मुन्शी पन्ना ब्राण्ड)** जिसके बैंच नं0 एनआर/आर/एस/5/22 लोट नं0 149 एवं पैकिंग की दिनांक 30 अक्टूबर 2022 थी को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 1–1 किलोग्राम के 4 मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **हल्दी पावडर (मुन्शी पन्ना ब्राण्ड)** 4 पैकेट प्रत्येक 1–1 किलोग्राम कागज के गत्तों के चार डिब्बों में प्रत्येक में 1–1 किलोग्राम बराबर–बराबर रखकर, ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट किया। नियमानुसार चार भाग तैयार कर,नियामनुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3380 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3380 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सोहन लाल गोयल पुत्र श्री सूरज मल गोयल मैसर्स जय अम्बे किराणा स्टोर जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स निर्मल एन्टरप्राईजेज पोस्ट ऑफिस के पीछे केसर कुन्ज टोंक जिला टोंक का बिल प्रस्तुत किया एवं मैसर्स निर्मल एन्टरप्राईजेज पोस्ट ऑफिस के पीछे केसर कुन्ज टोंक जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स मंगल एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं0 सी–553 फर्स्ट फ्लोर बीसी रोड नं0 6 वीकेआई एरिया जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/662 दिनांक 27.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस/3496/एक्ट/2022/3518 दिनांक 16.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **हल्दी पावडर (मुन्शी पन्ना ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **हल्दी पावडर (मुन्शी पन्ना ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **हल्दी पावडर (मुन्शी पन्ना ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक